



जवाहर नवोदय विद्यालय, तिलवासनी, जोधपुर (राजस्थान) –342605

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, TILWASNI, DISTT. - JODHPUR (RAJ.) - 342605

(शिक्षा, मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान: माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार)

(An autonomous Organistaion under Ministry of Education, Deptt. of Secondary Education and Literacy, Govt. of India)

संपर्क/Contacts: 02930-268209, www.jnvjodhpur.com, Email - [jnvjodhpur@rediffmail.com](mailto:jnvjodhpur@rediffmail.com)

Affiliated to CBSE:1740014, School Code: 14071

Ref: JNV/Til/2020-21/ ~~521~~ 521

Date 14/09/2020

प्रेषित -

श्रीमान् सम्पादक,  
राजस्थान पत्रिका  
जोधपुर।

विषय: विज्ञापन (नीलामी सूचना) प्रकाशित कराने के सन्दर्भ में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्नलिखित विज्ञापन (नीलामी सूचना) को जोधपुर जिले के संस्करण दिनांक 15.09.2020 के अंक में प्रकाशित होने वाले अपने दैनिक समाचार पत्र में सरकारी नियमानुसार आवश्यक छूट प्रदान करते हुए डी0ए0वी0पी0 दर पर प्रकाशित कर अनुग्रहीत करें। भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे आपके खाते में जमा करवा दिया जायेगा।

(धर्मेन्द्र कुमार जैन)  
प्राचार्य

प्रतिलिपि -

1. लेखा-शाखा
2. कार्यालय प्रति।

प्राचार्य

*[Handwritten signature]*

जवाहर नवोदय विद्यालय, तिलवासनी, जोधपुर (राजस्थान) – 342605

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, TILWASNI, DISTT.- JODHPUR (RAJ.) – 342605

(शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान; माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार)  
(An autonomous Organistaion under Ministry of Education, Deptt. of Secondary Education and Literacy, Govt. of India)  
संपर्क/Contacts: 02930-268209, www.jnvjodhpur.com, Email – [jnvjodhpur@rediffmail.com](mailto:jnvjodhpur@rediffmail.com)

Affiliated to CBSE:1740014, School Code: 14071

Ref. No.: F./JNVT/2020-21/ 521

Date:14.09.2020

## नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, तिलवासनी, जिला-जोधपुर (राज0) में दिनांक 24.09.2020 को प्रातः 10.30 बजे अनुपयोगी सामग्री जैसे पुराने फर्निचर-टेबल कुर्सी, लोहे के एंगल के पलंग, प्लास्टिक की कुर्सी, स्टील के बर्तन-थाली, गिलास, प्लेट, बाल्टी, टंकी, बिस्तर सामग्री – रूई का गद्दा, तकिया, कम्बल, मच्छरदानी, पुराने अनुपयोगी 37 कम्प्यूटर (HCL, HP, Esar Company make) उपकरण मय सामग्री – माउस, यू0पी0एस0 इत्यादि आदि की खुली बोली के आधार पर उपस्थित अधिकृत ठेकेदारों के समक्ष नीलामी विद्यालय की कमेटी की उपस्थिति में जहां एवं जैसी स्थिति में जितनी मात्रा में है के आधार पर की जायेगी।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी जिसकी जानकारी विद्यालय की वेबसाइट [www.jnvjodhpur.Com](http://www.jnvjodhpur.Com) पर भी उपलब्ध है।

1. नीलामी में भाग लेने वाले अधिकृत व्यक्ति द्वारा धरोहर राशि रुपये 20,000/- ( रुपये बीस हजार अक्षरे ) का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, तिलवासनी के नाम से जो कि भारतीय स्टेट बैंक (S.B.I.) पीपाड़ शहर की शाखा पर देय हो, जमा करवाना अनिवार्य है। धरोहर राशि नगद में स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशी के अभाव में नीलामी में भाग नहीं लिया जा सकेगा।
2. दिनांक 24.09.2020 को प्रातः 10.30 से 11.30 बजे तक उक्त डी0डी0 एवं नीलामी हेतु आवेदन पत्र ( फर्म का पंजीकरण आधार कार्ड की प्रति आदि जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र )स्वीकार किये जायेगे। 11.30 बजे के बाद उपस्थित होने वाले किसी भी नीलामी बोलीदाता के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. विद्यालय स्तर की कमेटी द्वारा 11.30 बजे से बोलीदाताओं के समक्ष खुली बोली द्वारा नीलामी प्रारम्भ की जायेगी।
4. नीलामी खुली बोली के आधार पर उच्चतम दर पर बोलीदाता की स्वीकार की जायेगी।
5. स्वीकृत बोलीदाता को स्वीकृत नीलामी राशि विद्यालय में तुरन्त जमा करवाकर अनुपयोगी सामग्री विद्यालय से स्वयं के खर्च पर ले जानी होगी अन्यथा उक्त धरोहर राशी जब्त कर ली जायेगी।
6. नीलामी के सन्दर्भ जो भी सरकारी टेक्स आदि देय होंगे वो सम्बन्धित स्वीकृत बोलीदाता स्वयं को जमा करना होगा।
7. COVID-19 के सन्दर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन आदि के दिशा-निर्देशानुसार सामाजिक दूरी आदि नियमों का पूर्ण पालन किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक फर्म की ओर से केवल मात्र एक ही व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु विद्यालय के मुख्य द्वार पर निर्धारित समय पर पूर्ण जाँच जैसे थर्मल स्केनिंग/सीनेटाइज आदि प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा। नीलामी प्रक्रिया खुले प्रांगण होगी। नियमों की पालना सभी को करनी होगी।
8. प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, तिलवासनी के पास बिना कोई कारण बताए स्वीकृत नीलामी बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(धमेन्द्र कुमार जैन)

प्राचार्य